पत्र संख्याः – शिक्षा-(ऐ-III) छात्रवृति / 1356 ....दिनांक

........09/08/2024 ऊना

कार्यालय शिक्षा उप निदेशक (उच्चतर) ऊना जिला ऊना (हि० प्र०)

दिनाकः- ऊना 09 अगस्त, 2024

सेवा में ,

समस्त प्रधानाचार्य /मुख्यध्यापक,
रा०व०मा० / रा०उ०पा०/निजी पाठशालाएं (मान्यता प्राप्त)
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

विषयः- वर्ष 2024-25 हेतु छात्रवृति योजनाओं से सम्बन्धित आवश्यक दिशा – निर्देश।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय पर आपके ध्यान में लाया जाता है कि अधिकतर छात्रवृति प्रभारी (INOs) विभिन्न छात्रवृति योजनाओं हेतु सम्बन्धित छात्रों के आवश्यक दस्तावेजों को छात्रवृति पोर्टल (NSP) पर सही तरीके से अपलोड नहीं करते हैं जिसके कारण छात्रों के आवेदन पत्रों को पोर्टल के माध्यम से सत्यापित करते समय कई मुशिकलों का सामना करना पढ़ता है। जिसके परिणामस्वरूप इन आवेदन पत्रों को वापिस सम्बन्धित पाठशालाओं को आपतियाँ दूर करने / पुनः सत्यापन हेतु भेजा जाता है। अधिकतर आवेदन पत्र पाठशाला स्तर पर ही लम्बित रह जाते हैं।

अत: इस बारे आपको यह निर्देश दिये जाते हैं कि दस्तावेजों को अपलोड करते समय निमंलिखित पहलूओं को ध्यान में रखा जाये ताकि जिला नोडल अधिकारी स्तर पर कार्य (छात्रवृति आवेदन सत्यापन) को तय समय पर पूरा किया जा सके:-

सभी दस्तावेज/प्रमाण पत्र अच्छी तरह से स्कैन होने चाहिये।
अधिकतर दस्तावेज/प्रमाण पत्र पढ़ने योग्य नहीं होते अतः यह सुनिशिचत करें कि सभी प्रमाण पत्र पढने योग्य होने चाहिए।
आय प्रमाण पत्र अपलोड करते समय इसकी वैधता जाँच ले।
खाता सं० सही हो और आधार से (Account number to be seeded with Aadhar) जोड़ा जाना चाहिए।
मांगे गये सभी दस्तावेज अपलोड होने चाहिए।
यह सुनिशिचत करें कि मांगे गये प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये हो।
सभी दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की अपलोड करने के बाद पुनः जाँच कर लें कि क्या सभी प्रमाण पत्र पढने योग्य हैं या नहीं अगर पढने योग्य नहीं है तो पुनः अपलोड करें।

उप-शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
ऊना जिला ऊना हि० प्र०